BACKGROUNDERS
Press Information Bureau
Government of India

पीएम जन धन योजना के 11 साल: बैंकिंग रहित से बैंकिंग की ओर

27 अगस्त 2025

"प्रधानमंत्री जन-धन योजना ने सबसे गरीब लोगों तक वित्तीय सेवाओं के पहुँच को परिवर्तित कर दिया है। इसने बैंकों और बैंक-रहित लोगों के बीच के अंतर को कम किया है और सम्मान, आत्मनिर्भरता एवं आर्थिक समावेशन को बढ़ावा दिया है।"

– प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

प्रमुख बिंदु

- 28 अगस्त 2014 को शुरु की गई पीएमजेडीवाई दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहलों में से एक है।
- प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत 56.16 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए हैं, जिसमें मध्य अगस्त 2025 तक कुल जमा राशि 26 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।
- 56% जन धन खाते महिलाओं के हैं, जो वित्तीय पहुंच में जेंडर समानता को बढ़ावा देने में योजना की भूमिका को दर्शाते हैं।

परिचय

एक दशक पहले कई भारतीयों के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण तथा हाशिए पर स्थित समुदायों के लिए बैंकिंग एक दूर का सपना था। औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुँच के बिना, लाखों लोग घर पर जमा नकदी और अनौपचारिक ऋणदाताओं से मिलने वाले ऊँची ब्याज दरों वाले ऋणों पर निर्भर थे, जिससे वे जोखिम के चक्र में फँस गए।

अगस्त 2014 में, यह वास्तविकता बदलने लगी। राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन के रूप में शुरु की गई प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) का उद्देश्य भारत में बैंकिंग सेवाओं से वंचित प्रत्येक वयस्क को एक बैंक खाता, एक वित्तीय पहचान और ऋण, बीमा और पेंशन जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुँच प्रदान करना था। **बैंकिंग सेवाओं से वंचित लोगों को बैंकिंग सेवा प्रदान करने, असुरक्षित लोगों को सुरक्षित करने, वित्तपोषित लोगों को वित्तपोषित करने और वंचितों व वंचितों की सेवा करने के मिशन से प्रेरित** होकर, पीएमजेडीवाई दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल बन गई है।

28 अगस्त 2025 को जब यह योजना 11 वर्ष की हो जाएगी, तो इसकी उपलब्धियां पूरे देश में दिखाई देंगी, ग्रामीण खाता स्वामित्व में वृद्धि से लेकर डिजिटल लेनदेन में वृद्धि तक, जो एक परिवर्तित वित्तीय परिदृश्य का संकेत है।

क्या आप जानते थे?

गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने भी प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत हासिल की गई उपलब्धियों को मान्यता दी है। यह प्रमाणित किया गया है कि "वित्तीय समावेशन अभियान के तहत एक सप्ताह में खोले गए सर्वाधिक बैंक खातों की संख्या 18,096,130 है और यह उपलब्धि भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा हासिल की गई है। →

योजना के मूल सिद्धांत

बैंकिंग सेवाओं से वंचित लोगों के लिए बैंकिंग - न्यूनतम कागजी कार्रवाई, सरल केवाईसी, ई-केवाईसी, कैंप मोड में खाता खोलने, शून्य बैलेंस और शून्य शुल्क के साथ बुनियादी बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) खाता खोलना।

असुरक्षित लोगों के लिए सुरक्षा - नकद निकासी और व्यापारिक स्थानों पर भुगतान के लिए स्वदेशी डेबिट कार्ड जारी करना, जिसमें 2 लाख रुपये का निःशुल्क दुर्घटना बीमा कवरेज शामिल है।

गैर-वित्तपोषित लोगों का वित्तपोषण - अन्य वित्तीय उत्पाद जैसे सूक्ष्म बीमा, उपभोग के लिए ओवरड्राफ्ट, सूक्ष्म पेंशन और सूक्ष्म ऋण।

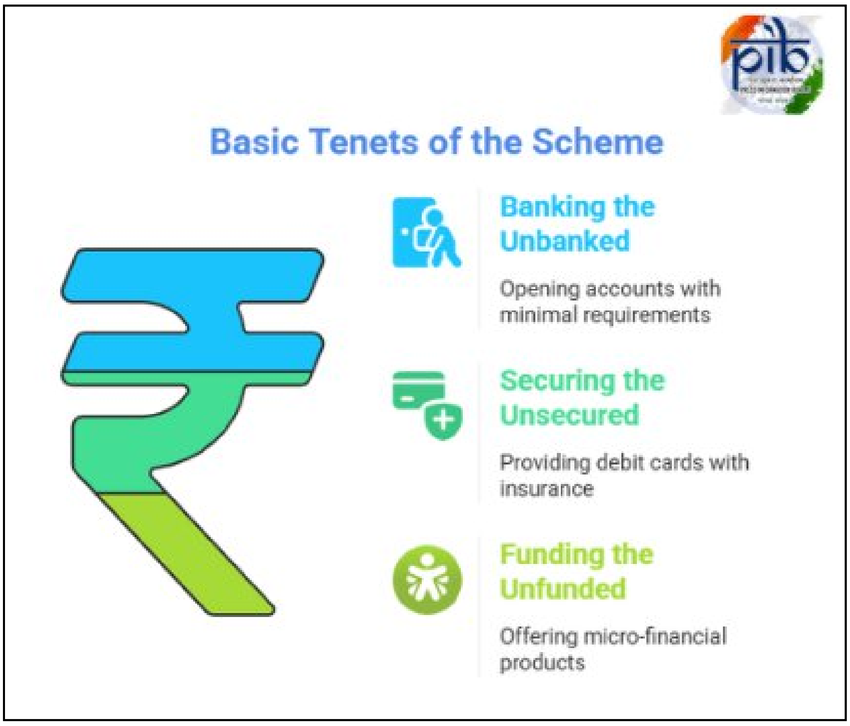

पीएमजेडीवाई के तहत लाभ

पीएमजेडीवाई व्यक्तियों की विविध वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए व्यापक लाभ प्रदान करता है, जिससे सुरक्षा और सशक्तिकरण दोनों को बढ़ावा मिलता है। इसमें शून्य-शेष खाते, अंतर्निहित बीमा वाले रुपे डेबिट कार्ड, ओवरड्राफ्ट विकल्प और दूरस्थ स्थानों पर व्यवसाय प्रतिनिधियों (बीसी) के माध्यम से सेवाओं तक पहुँच जैसी सुविधाएँ शामिल हैं। यह पहल समावेशी आर्थिक विकास और सामाजिक समता को बढ़ावा देती है, साथ ही लाभार्थियों को बेहतर वित्तीय स्थिरता के लिए अन्य सरकारी कार्यक्रमों से भी जोड़ती है।

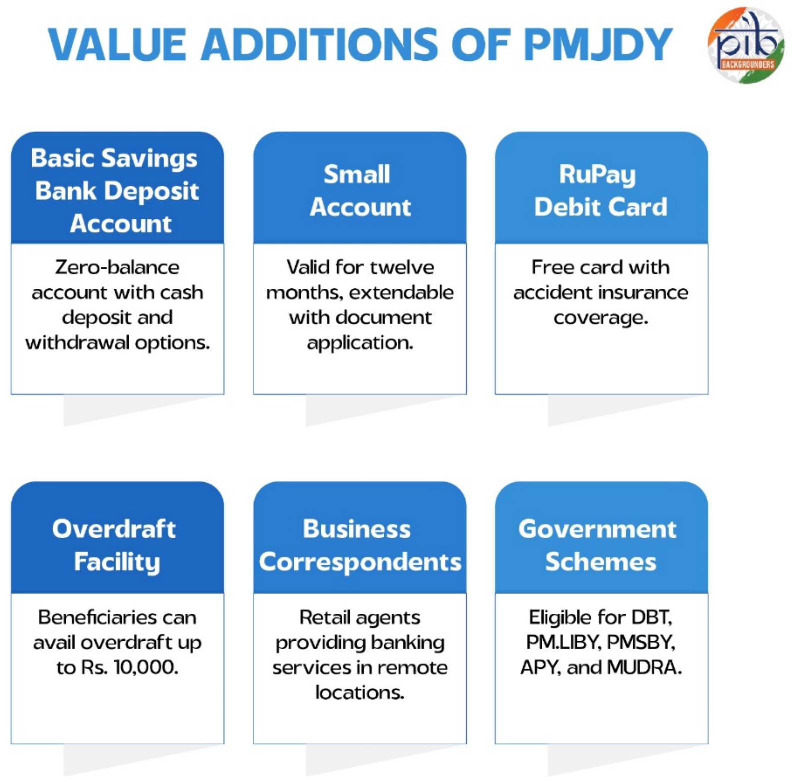

Source: Ministry of Finance

- **बेसिक बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए)** - कोई भी भारतीय नागरिक जो मानक बैंक खाता खोलने के लिए पात्र है, वह बीएसबीडीए भी खोल सकता है। इस प्रकार के खाते में न्यूनतम शेष राशि रखने की आवश्यकता नहीं होती है। लेन-देन बैंक शाखाओं, एटीएम और बैंकिंग सेवा प्रदाताओं के माध्यम से किए जा सकते हैं। प्रति माह निकासी अधिकतम चार तक सीमित है।

- **छोटा खाता** - औपचारिक कानूनी दस्तावेजों के बिना व्यक्तियों के लिए, छोटे खाते खोले जा सकते हैं। ये 12 महीनों के लिए वैध होते हैं और यदि पहले वर्ष के भीतर आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज के लिए आवेदन का प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है, तो इसे 12 महीनों के लिए और बढ़ाया जा सकता है।

- **अंतर्निहित दुर्घटना बीमा के साथ रुपे डेबिट कार्ड** - सभी लाभार्थियों को ₹2 लाख (28 अगस्त 2018 से पहले खोले गए खातों के लिए ₹1 लाख) के दुर्घटना बीमा कवर के साथ एक निः शुल्क रुपे डेबिट कार्ड प्राप्त होता है।

- **ओवरड्राफ्ट सुविधा**- लाभार्थी ₹10,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

- **बिज़नेस कॉरेस्पोंडेंट (बीसी)/बैंक मित्र**- बैंकों द्वारा शाखा/एटीएम स्थानों के अलावा, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने के लिए नियुक्त खुदरा एजेंट। बीसी/बैंक मित्र निवासियों को बचत, जमा, निकासी और मिनी-स्टेटमेंट में सहायता करते हैं, जिससे बैंकिंग सेवाओं की अंतिम छोर तक पहुँच सुनिश्चित होती है।

- **अतिरिक्त सरकारी योजनाओं के लिए पात्रता**- पीएमजेडीवाई खाते प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

(पीएमएसबीवाई), अटल पेंशन योजना (एपीवाई), और माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक (मुद्रा) योजना के लिए पात्र हैं।

परिवर्तनकारी उपलब्धियां और प्रभाव

प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) ने पूरे भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और निम्नलिखित प्रमुख उपलब्धियां हासिल की हैं:

वित्तीय क्षितिज का विस्तार

पीएमजेडीवाई अनेक आर्थिक तथा कल्याणकारी पहलों की नींव के रूप में विकसित हुआ है, जिससे 327 सरकारी योजनाओं के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) को सक्षम बनाया गया है, जिससे लीकेज और बिचौलियों को समाप्त किया गया है।

- खाते **2015 में 14.72 करोड़ से बढ़कर अगस्त 2025 तक 56.16 करोड़ से अधिक** हो गए हैं, जिनमें से लगभग 67% ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्रों में और 33% जन धन खाते शहरी/मेट्रो क्षेत्रों में खोले गए हैं।
- 33% जन धन खाते शहरी/मेट्रो क्षेत्रों में खोले गए हैं जबकि 67% ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं।

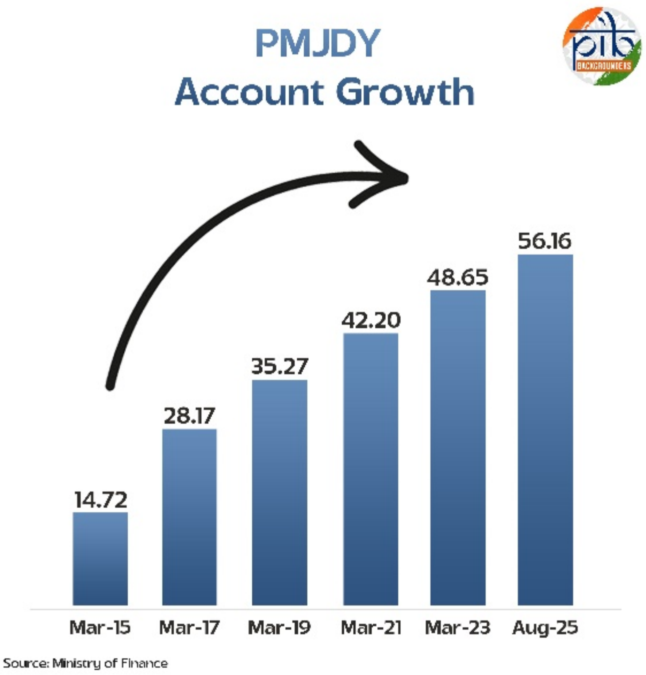

पीएमजेडीवाई के अग्रभाग में महिलाएं

56% जन धन खाते महिलाओं के हैं, जो वित्तीय पहुँच में जेंडर समानता को बढ़ावा देने में इस योजना की भूमिका को दर्शाता है। महिलाओं, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को, पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और एपीवाई जैसी सामाजिक सुरक्षा और ऋण योजनाओं तक पहुँच का लाभ मिला है।

खातों में जमा राशि

पीएमजेडीवाई खातों में कुल जमा राशि मार्च 2015 के ₹15,670 करोड़ से बढ़कर ₹2,67,755 करोड़ तक पहुंच गई है, जो औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में लाभार्थियों के बढ़ते विश्वास और वित्तीय गतिविधियों में उनकी सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है।

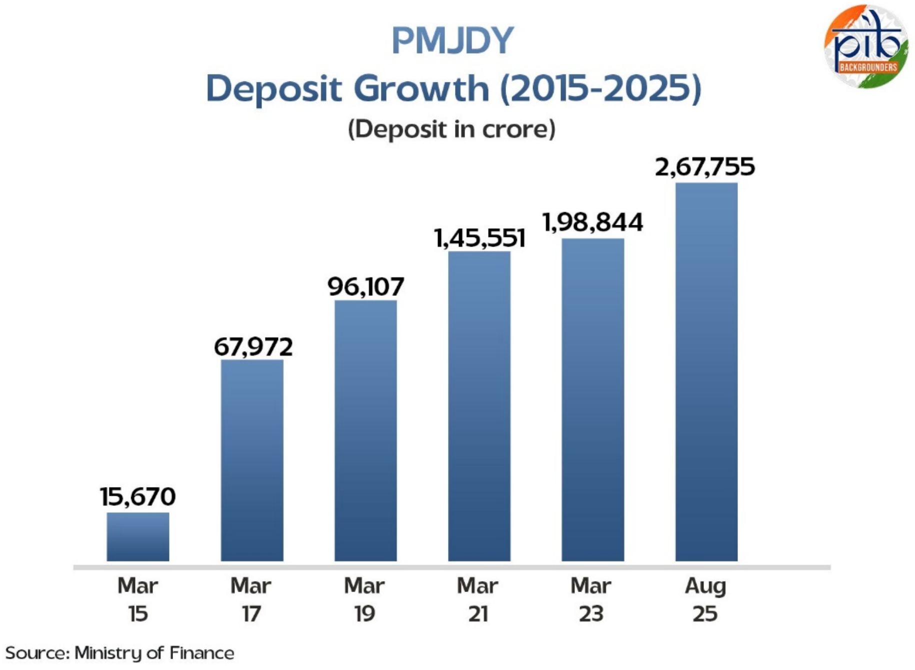

जारी किए गए रुपे डेबिट कार्डों की संख्या

पीएमजेडीवाई खाताधारकों को कुल 38.68 करोड़ रुपे डेबिट कार्ड जारी किए गए हैं, जिससे नकदी रहित लेनदेन की सुविधा मिली है और अंतर्निहित दुर्घटना बीमा कवर तक पहुंच मिली है।

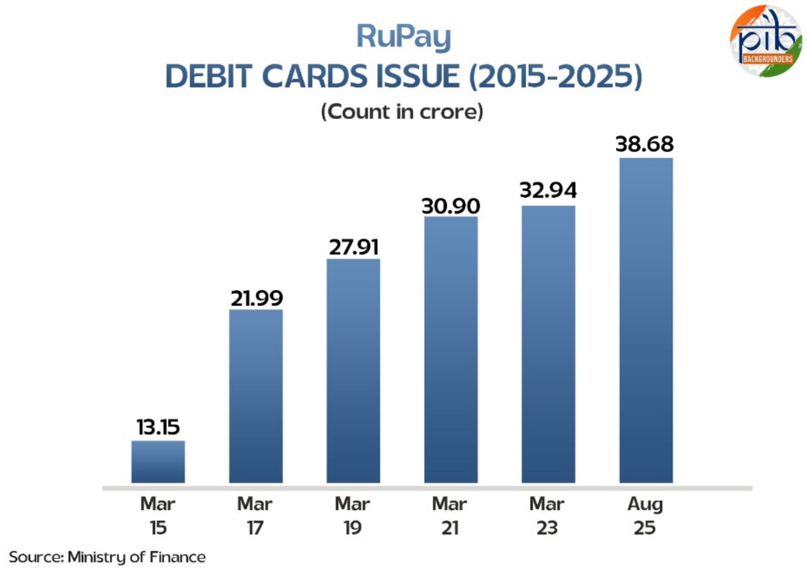

प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) भारत में डिजिटल भुगतान क्रांति की आधारशिला रही है। रुपे कार्ड ने नकदी रहित लेनदेन को बढ़ावा दिया है। भारत अब वैश्विक स्तर पर वास्तविक समय पर भुगतान में अग्रणी है, और प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) लाखों लोगों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

वित्तीय पहुँच के लिए अभियान

हाल ही में, वित्त विभाग ने प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) जैसी प्रमुख योजनाओं की पहुँच बढ़ाने के लिए 1 जुलाई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक प्रभावी तीन महीने का राष्ट्रव्यापी संतृप्ति अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में व्यापक कवरेज सुनिश्चित करना है, ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक इन परिवर्तनकारी योजनाओं का अपेक्षित लाभ उठा सके।

पहले महीने (31 जुलाई 2025 तक) में, प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों के नामांकन को सुगम बनाने और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न भारतीय जिलों में कुल 99,753 शिविर आयोजित किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि ये शिविर सामुदायिक जुड़ाव, नामांकन, अद्यतनीकरण तथा जागरूकता प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण संपर्क बिंदु के रूप में कार्य कर रहे हैं।

इनमें से 80,462 शिविरों (31 जुलाई 2025 तक) की प्रगति रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है। पहले महीने की उपलब्धि के अलावा, लगभग **6.6 लाख नए प्रधानमंत्री जन धन योजना खाते खोले गए** और तीन जन सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत 22.65 लाख से ज़्यादा नए नामांकन हुए। 4.73 लाख से ज़्यादा निष्क्रिय प्रधानमंत्री जन धन योजना खातों और 5.65 लाख अन्य बचत खातों के लिए केवाईसी विवरणों का पुनः सत्यापन किया गया। वित्तीय समावेशन को मज़बूत करने और खाता प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत कई प्रमुख गतिविधियाँ शुरू की गई हैं।

निष्कर्ष

भारत में प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के 11 वर्ष पूरे होने वाले हैं और यह स्पष्ट है कि इस पहल ने देश के वित्तीय तंत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं। 2014 में शुरू की गई पीएमजेडीवाई ने न केवल बैंकिंग सेवाओं से वंचित लोगों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में लाने का अपना वादा पूरा किया है, बल्कि समावेशी आर्थिक विकास के लिए एक ठोस ढाँचा भी स्थापित किया है। 56 करोड़ से ज़्यादा खाते खोले गए हैं, जिनमें लगभग 30 करोड़ महिला लाभार्थी भी शामिल हैं, साथ ही बड़ी जमा राशि और रुपे डेबिट कार्डों का व्यापक वितरण भी हुआ है। इस योजना ने सुदूर क्षेत्रों तक भी अपनी पहुँच बनाई है और लाखों लोगों, खासकर वंचित पृष्ठभूमि के लोगों का उत्थान किया है।

पीएमजेडीवाई खातों का विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के साथ सहज एकीकरण वित्तीय समावेशन को और मज़बूत बना रहा है, जिससे यह सुनिश्चित हुआ है कि लाभ सीधे लक्षित लाभार्थियों तक पहुँचें। भविष्य में, पीएमजेडीवाई की उपलब्धियाँ इसके विस्तार के लिए एक मज़बूत आधार प्रदान करती हैं, जिससे सार्वभौमिक वित्तीय पहुँच और भारत के आर्थिक विकास में नागरिकों की बढ़ती भागीदारी का मार्ग प्रशस्त होता है। अगले चरण का उद्देश्य इन प्रयासों को और गहरा करना और प्रत्येक व्यक्ति को देश की वित्तीय प्रगति के दायरे में लाना होगा।

संदर्भ:

वित्त मंत्रालय

https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=1952793
https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=152060
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2144990
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2150999
https://www.pmjdy.gov.in

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

https://www.myscheme.gov.in/schemes/pmjdy#sources

पीके/केसी/एसजी